उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-10/2015/सा-3-जी0आई0-12/दस-2015-301/2000 टी0सी0

लखनऊ: दिनाँक: 15 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों के आधार पर अपुनरीक्षित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015-सा-3-जी0आई0-01/दस-2015-301/2000 टी0सी0, दिनाँक 14 जनवरी, 2015 द्वारा जिन पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संबंधित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित नहीं कराया है और तदनुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन स्वीकृत हुई है, को पेंशन पर महँगाई राहत दिनाँक 01-07-2014 से 212 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में उक्त श्रेणी के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत दिनाँक 01 जनवरी, 2015 से 223 प्रतिशत की दर से अनुमन्य होगी।

2- यह भी स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें अपुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखित दरों पर महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

3- चूँकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महँगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित करके किया जाता है, इसलिए यह प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना करके भुगतान करें।

4- अत: उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तदनुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

अजय अग्रवाल

सचिव, वित्त।

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-10/2015/सा-3-जी0आई0-12(1)/दस-2015, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्निलखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं आडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।
8- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
9- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10- महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।